शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) 90

(ख) अनुसूचित जाति : 11

अनुसूचित आदिम जाति : कोई नहीं ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के अनुसार, प्रवर श्रेणी लिपिकों के वर्ग में होने वाले स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां चयन (सिलैक्ट लिस्ट) में शामिल व्यक्तियों में से वरीयता क्रम से की जाती हैं। प्रवर श्रेणी लिपिकों के वर्ग में अस्थायी स्थानों पर नियुक्तियां ऐसे स्थायी अवर श्रेणी लिपिकों में से, अवर श्रेणी लिपिक वर्ग की वरीयता-क्रम के आधार पर की जाती है, जिन्होंने कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जिन्हें अनुपयुक्त नहीं पाया जाए। इसलिए विशेष संरक्षण आदेश, इस मामले पर लागू नहीं होते हैं ।

प्रशासनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग

6769. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम चरण :
श्री बलराज मधोक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के चतुर्थ-श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश, स्पष्टीकरण, पदोन्नति और सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य मूलतः हिन्दी में करने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि उनके मंत्रालय के तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक विभागों में गैर-तकनिकी किस्म का कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है क्योंकि उक्त विभागों के अधिकारी हिन्दी-विरोधी हैं और अंग्रेजी से प्रतियां करने की सुविधा भी प्राप्त है ;

(ग) क्या अपने मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करने का उनका विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस विषय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के, सेवा की शर्तों से संबंधित सामान्य आदेश, आरोप पत्र तथा अनुदेशात्मक आदेश, उनसे प्राप्त याचिकाओं के उत्तर और उनकी सेवा-पंजियों में सभी प्रविष्टियां हिन्दी में होंगी ।

(ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान् । संशोधित राजभाषा अधिनियम में जिस द्विभाषिक योजना की व्यवस्था की गई है उसके अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

6770. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री प० मु० सईद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य

की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) रक्षित विषयों के सिवाय राज्य तथा संवर्ती सूचियों के विषयों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक सामान्य नीति निर्धारित की है कि दिल्ली प्रशासन के साथ उदारता तथा सहयोग के साथ व्यवहार किया जाय और उसे केन्द्रीय सरकार के एक अधीनस्थ निकाय के रूप में न समझा जाय । सरकार को दिल्ली के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में किसी अनावश्यक हस्तक्षेप की जानकारी नहीं है ।

पन्त पोलिटेक्निक, दिल्ली के छात्रों को छात्रवृत्ति

6771. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्त पोलिटेक्निक के, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, कुछ छात्रों को 1967-68 में छात्रवृत्तियों की राशि का भुगतान नहीं किया गया था यद्यपि 1966-67 में उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी और उन्हें 1966-67 की वार्षिक परीक्षा में 55 से 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन छात्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अन्य दो पोलिटेक्निकों में ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशियों का भुगतान किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो पन्त पोलिटेक्निक के इन छात्रों के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण थे और क्या सरकार उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इन छात्रवृत्तियों का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) 13 नामों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रख दी गयी । देखिये संख्या** LT-810/69]

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). छात्रवृत्तियों के नवीयन का निर्णय निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है और एक पोलिटेक्निक तथा दूसरे पोलिटेक्निक में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है । दिल्ली प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी छात्रों के मामलों का पुनर्विलोकन किया जा चुका है और अभी तक दस छात्रों की छात्रवृत्तियों का नवीयन कर दिया गया है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रपत्रों तथा नियमावलियों का अनुवाद

6772. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :